Purnea University Purnea

M. L. Arya College,
Kasba

Department of Pol. Science

Hand written lecture
presented by

Hira chand mehta
Assist. Professor

D. P - II

paper - III

Date of lecture - 28-07-2020

Topic :-

स्वतंत्रता का अधिकार

Art - 20, 21 और 22

Right to freedom

(Art 20, 21 & 22)

Hira chand
28-07-2020

अपराध्य की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण (अनु० २०)

अनुच्छेद २० में कहा गया है कि "किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो।"

इसके साथ ही एक अपराध्य के लिए व्यक्ति को एक ही बार दण्ड दिया जा सकता है और किसी अपराध्य में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा (अनु० २१)

अनुच्छेद २१ में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि "किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता।" सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि 'जीवन के अधिकार' में ~~सी~~ आवास का अधिकार सम्मिलित है।

44 वें संवैधानिक संशोधन (1979) द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक महत्व प्रदान किया गया है। अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है।

P.T.O

Scanned by CamScanner

बन्दीकरण की अवस्था में संरक्षण (अनु० २२)

अनुच्छेद २२ के द्वारा बन्दी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि उसके अपराध के बारे में अथवा बन्दी बनाने के कारणों को बतलाए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बन्दीगृह में नहीं रखा जाएगा। उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबन्ध करने का अधिकार होगा तथा बन्दी बनाए जाने के बाद २४ घण्टे के अन्दर-अन्दर (इसमें बन्दीगृह से न्यायालय तक जाने का समय शामिल नहीं है) उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा। अनुच्छेद २२ के द्वारा बन्दी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे दो प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होंगे। प्रथम, शत्रु देश के निवासियों पर और द्वितीय, 'निवारक निरोध अधिनियम' के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर।

//

Scanned by CamScanner